

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

सि०न० - 9/2025

अनवान : -

1. विजयसिंह दत्तक पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
:-वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
:-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 एमएसआर के खाता सं० 39/43 के मु० न० 43 के किला न० 16, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253है०, मु० न० 44 के किला न० 20, 21 प्रत्येक की 0.253है०, मु० न० 46 के किला न० 1 की 0.253है०, 10/1 की 0.228है०, किला न० 10/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, 11/1 की 0.228है०, किला न० 11/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, मु० न० 47 के किला न० 4, 5, 6, 7, 14 प्रत्येक की 0.253है०, 15/1 की 0.228है०, किला न० 15/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, 16/1 की 0.228है०, किला न० 16/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, 17/1 की 0.228है०, किला न० 17/2 की 0.025है० गै० मु० खाला, 24/1 की 0.101है०, किला न० 24/2 की 0.025है० गै० मु० खाला कुल रकबा 3.9080है० जिसमें बारानी 2.7580है०, गै० मु० खाला 0.150है०, नहरी 1.000है० में प्रतिवादी सं० 1 मनीराम के नाम 61/420 हिस्सा व रोही मोजा चक 2 एमएसआर के खाता सं० 78/44 के मु० न० 76 के किला न० 14, 15, 16, 17, 24, 25 प्रत्येक की 0.253है०, मु० न० 77 के किला न० 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल रकबा 3.0360है० नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 मनीराम के नाम 61/420 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं० 1 मनीराम अकेले के बजाए वादी विजयसिंह, प्रतिवादी सं० 1 मनीराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 19/12/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)

R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

दिनांक - 9/2025

अनुदान :-

1. विजयसिंह दत्तक पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा। :-वादी

बनाम

1. मनीराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी चक भोजासर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:-प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री धर्मपाल बेरवाल वादी
श्री सतवीर बैनीवाल प्रतिवादी
दिनांक: 13/3/25

निर्णय

संवेद में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं 39/43 के मु० न० 43 के किला न० 16, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है०, मु० न० 44 के किला न० 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 46 के किला न० 1 की 0.253 है०, 10/1 की 0.228 है०, किला न० 10/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 11/1 की 0.228 है०, किला न० 11/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, मु० न० 47 के किला न० 4, 5, 6, 7, 14 प्रत्येक की 0.253 है०, 15/1 की 0.228 है०, किला न० 15/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 16/1 की 0.228 है०, किला न० 16/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 17/1 की 0.228 है०, किला न० 17/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला, 24/1 की 0.101 है०, किला न० 24/2 की 0.025 है० गै० मु० खाला कुल रकबा 3.908 है० जिसमें बारानी 2.7580 है०, गै० मु० खाला 0.150 है०, नहरी 1.000 है० में प्रतिवादी सं० 1 मनीराम के नाम 61/420 हिस्सा व रोही मौजा चक 2 एमएसआर के खाता सं० 78/44 के मु० न० 76 के किला न० 14, 15, 16, 17, 24, 25 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 77 के किला न० 11, 12, 19, 20, 21, 22 कुल रकबा 3.0360 है० नहरी खातेदारी में प्रतिवादी सं० 1 मनीराम के नाम 61/420 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि व रिति-रिवाज से शासित हैं। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी हैं। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण 1 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं० 2 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 1 एमएसआर व 2 एमएसआर वादी की पैतृक सम्पत्ति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 1 एमएसआर के खाता सं० 39/43 के मु० न० 43 के किला न० 16, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है०, मु० न० 44 के किला न० 20, 21 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० न० 46

फाइल

के किला नं 1 की 0.253 है, 10/1 की 0.228 है, किला नं 10/2 की 0.228 है, गै 0 मु खाला, 11/1 की 0.228 है, किला नं 11/2 की 0.025 है गै 0 मु खाला, गै 0 मु नं 4 के किला नं 4, 5, 6, 7, 14 प्रत्येक की 0.253 है, 15/1 की 0.228 है, किला नं 15/2 की 0.228 है, गै 0 मु खाला, 16/1 की 0.228 है, किला नं 16/2 की 0.025 है गै 0 मु खाला, 17/1 की 0.228 है, किला नं 17/2 की 0.025 है गै 0 मु खाला, 24/1 की 0.10 है, किला नं 24/2 की 0.025 है गै 0 मु खाला कुल रकम 39080 है जिसमें बगनी 2750 है, गै 0 मु खाला 150 है, नहरी 1000 है में प्रतिवादी सं 1 मनीरम के नाम 61/420 हिस्सा 1 रोही मोजा चक 2 एमएसआर के खाता सं 78/44 के मु नं 76 के किला नं 14 15 16 17 24 25 प्रत्येक की 0.253 है, मु नं 77 के किला नं 11, 12 19 20 21 22 कुल रकम 31200 है रोही खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मनीरम के नाम 61/420 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि वनस्पत रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में एक बार मुझे एक सम्मति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीय का नाम से एक हिस्सा रोही है। रोही सं 1 के वादी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं होगा स्वीकार किया गया है। नतीजा यह भूमि में वादी के साथ साथ प्रतिवादी सं 1 बहिस्ता बराबर के अनुसार खातेदार कायमकर हो। एक मुकदमे उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक तर्जोमना स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 1 एमएसआर के खाता सं 78 44 के मु नं 76 के किला नं 14 15 16 17 24 25 प्रत्येक किला की 0.253 है, मु नं 77 के किला नं 11 12 19 20 21 22 प्रत्येक की 0.253 है, गै 0 मु 46 के किला नं 1 की 0.253 है, 10/1 की 0.228 है, किला नं 10/2 की 0.228 है, गै 0 मु खाला, 11/1 की 0.228 है, किला नं 11/2 की 0.025 है गै 0 मु खाला, गै 0 मु नं 4 के किला नं 4, 5, 6, 7, 14 प्रत्येक की 0.253 है, 15/1 की 0.228 है, किला नं 15/2 की 0.228 है, गै 0 मु खाला, 16/1 की 0.228 है, किला नं 16/2 की 0.025 है गै 0 मु खाला, 17/1 की 0.228 है, किला नं 17/2 की 0.025 है गै 0 मु खाला, 24/1 की 0.10 है, किला नं 24/2 की 0.025 है गै 0 मु खाला कुल रकम 39080 है जिसमें बगनी 2750 है, गै 0 मु खाला 150 है, नहरी 1000 है में प्रतिवादी सं 1 मनीरम के नाम 61/420 हिस्सा 1 रोही मोजा चक 2 एमएसआर के खाता सं 78/44 के मु नं 76 के किला नं 14 15 16 17 24 25 प्रत्येक की 0.253 है, मु नं 77 के किला नं 11, 12 19 20 21 22 कुल रकम 31200 है रोही खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 मनीरम के नाम 61/420 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि वनस्पत रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं 1 मनीरम के हकों के कारण रोही विजयसिंह, प्रतिवादी सं 1 मनीरम को बहिस्ता बराबर के अनुसार खातेदार कायमकर घोषित किये जाते हैं व यदि कृषि भूमि रकम है तो रकम मुकदमे रोही के अनुसार उपरोक्तानुसार रकम रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। रोही तस्वीरकानून अमल अपना बहन करे। पचा जीकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/12/20 को मेरे द्वारा विवेकानंद साहू द्वारा उपरोक्त में सुनाया गया।

(विजयसिंह मनीरम)
 विजयसिंह मनीरम (वादी)
 मनीरम मनीरम